छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 31/05/2016

क्रमांक एफ 9–22/2016/1/5 :: राज्य शासन के विभागों व निगम–मंडलों द्वारा प्रदेश के अनेक स्थानों पर भवन बनाए गये हैं। लेकिन इनमें से कई भवनों में रेन–वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। इससे वर्षा से होने वाले भू–जल संरक्षण का कार्य भली–भांति नहीं हो पा रहा है।

2/ अतएव भविष्य में शासन के समस्त विभाग एवं उनके अधीनस्थ उपक्रमों के अंतर्गत निर्माणाधीन सभी भवन जिनकी छत 1500 वर्गफीट से ऊपर रहती है, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का कार्य अनिवार्य रूप से संपादित करें। इसके साथ–साथ, पूर्व में जितने भी भवन शासन द्वारा पक्की छत के बनाए जा चुके हैं, उन सभी भवनों में, जहां भवन की छत 5,000 वर्गफीट से ऊपर है, रेन–वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने की कार्यवाही की जाए। ये भवन जिस विभाग की books में आते है, संबंधित विभागों को अपने बजट में उपलब्ध राशि से ही उक्त कार्य कराये जाने हैं।

उपरोक्त आदेश की क्रियान्वयन कराये जाने की जिम्मेदारी विभागीय सचिव की होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

क्रमांक ....593.........
......10/06/16......

9 JUN 2016

(SRAQ)

(डी.डी.सिंह)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा.क्र. एफ 9–22/2016/1/5 नया रायपुर, दिनांक 31/05/2016

प्रतिलिपिः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर,
3. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
4. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़
6. समस्त कलेक्टर (छ.ग.)
7. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर.
8. समस्त सचिव, निगम/मंडल/बोर्ड/प्राधिकरण/आयोग, छत्तीसगढ़

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव,